

10/04/11
(क)



11/04/11
4/04/11

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 मार्च, 2011 ई0
चैत्र 09, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 121/XXXVI(3)/2011/12(1)/2011
देहरादून, 30 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड विनियोग, 2011’ पर दिनांक 30 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2011
(अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2011)

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम

उत्तराखण्ड की संवित निधि में से वर्ष 2011-12 के लिए रु0 193669192000 का दिया जाना 2. उत्तराखण्ड राज्य की संवित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची में स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग रुपये 193669192000 (रुपये उन्नीस हजार तीन सौ छियासठ करोड़ इक्यानवे लाख बयानवे हजार मात्र) होता है, अधिक न हों।

विनियोग 3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संवित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01	विधान सभा	राजस्व	172943	7854	180797
		पूँजी	240000	0	240000
02	राज्यपाल	राजस्व	0	51620	51620
		पूँजी	0	0	0
03	मंत्रि परिषद्	राजस्व	362044	0	362044
		पूँजी	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	राजस्व	1023815	305901	1329716
		पूँजी	390000	0	390000
05	निर्वाचन	राजस्व	332173	0	332173
		पूँजी	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	8446312	16138	8462450
		पूँजी	490002	0	490002
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	22437031	19740319	42177350
		पूँजी	1178003	16387300	17565303
08	आबकारी	राजस्व	99026	0	99026
		पूँजी	0	0	0
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	74592	74592
		पूँजी	0	10000	10000
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व	6672800	0	6672800
		पूँजी	490001	0	490001
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	31824425	0	31824425
		पूँजी	2710454	0	2710454
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	8038320	0	8038320
		पूँजी	1196618	0	1196618
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6469387	0	6469387
		पूँजी	815000	0	815000
14	सूचना	राजस्व	208894	0	208894
		पूँजी	40000	0	40000
15	कल्याण योजनायें	राजस्व	5526314	0	5526314
		पूँजी	254008	0	254008

1	2	3		
16	श्रम और रोजगार	राजस्व	683696	0
		पूँजी	161500	0
17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	3429377	0
		पूँजी	9202	0
18	सहकारिता	राजस्व	352306	0
		पूँजी	47010	0
19	ग्राम्य विकास	राजस्व	3231070	0
		पूँजी	2138826	0
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	3077104	0
		पूँजी	4402603	0
21	ऊर्जा	राजस्व	80145	0
		पूँजी	4489202	0
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	4204292	34403
		पूँजी	8032001	0
23	उद्योग	राजस्व	752382	0
		पूँजी	141055	0
24	परिवहन	राजस्व	199474	0
		पूँजी	1552620	0
25	खाद्य	राजस्व	3275174	0
		पूँजी	36725	0
26	पर्यटन	राजस्व	536958	0
		पूँजी	462763	0
27	वन	राजस्व	2950789	0
		पूँजी	250002	0
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	1011888	0
		पूँजी	100381	0
29	औद्योगिक विकास	राजस्व	1003021	3118
		पूँजी	0	0
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	5344857	0
		पूँजी	3386842	0
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	1277024	0
		पूँजी	1000088	0
योग		राजस्व	123023041	20233945
		पूँजी	34014906	16397300
महायोग			157037947	36631245
				143256986
				50412206

आज्ञा से,
राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Appropriation Act, 2011' (Adhiniyam Sankhya 02 of 2011).

No. 121/XXXVI(3)/2011/12(1)/2011
Dated Dehradun, March 30, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 30 March, 2011.

THE UTTARAKHAND APPROPRIATION ACT, 2011
(Act No. 02 of 2011)

To authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty first day of March, 2012.

AN

ACT

Be it enacted by State Assembly in the Sixty-Second year of the Republic of India as follows--

Short Title

1. This Act may be called the Uttarakhand Appropriation Act, 2011.

Issue of Rs.
193669192000
out of the
Consolidated
Fund of
Uttarakhand
for
the year
2011-2012

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of **Rs. 193669192000 (Nineteen thousand three hundred Sixty six Crore Ninty one lakh Ninty two thousand only)** towards defraying the several charges, which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March, 2012 in respect of the services and purposes specified in Column-2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums, authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand by this Act, shall be appropriated for the services and purposes, expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2012.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

Grant/ Serial No.	Services and Purpose	Sums not exceeding (In thousands of Rupees)		Total	
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State		
1	2	3			
01	Legislature	Revenue	172943	7854	180797
		Capital	240000	0	240000
02	Governor	Revenue	0	51620	51620
		Capital	0	0	0
03	Council of Ministers	Revenue	362044	0	362044
		Capital	0	0	0
04	Judicial Administration	Revenue	1023815	305901	1329716
		Capital	390000	0	390000
05	Election	Revenue	332173	0	332173
		Capital	0	0	0
06	Revenue and General Administration	Revenue	8446312	16138	8462450
		Capital	490002	0	490002
07	Finance, Tax, Planning, Secretariat & Miscellaneous Services	Revenue	22437031	19740319	42177350
		Capital	1178003	16387300	17565303
08	Excise	Revenue	99026	0	99026
		Capital	0	0	0
09	Public Service Commission	Revenue	0	74592	74592
		Capital	0	10000	10000
10	Police and Jail	Revenue	6672800	0	6672800
		Capital	490001	0	490001

1	2	3		
11	Education, Sports, Youth Welfare & Culture	Revenue	31824425	0
		Capital	2710454	0
12	Medical, Health & Family Welfare	Revenue	8038320	0
		Capital	1196618	0
13	Water Supply, Housing & Urban Development	Revenue	6469387	0
		Capital	815000	0
14	Information	Revenue	208894	0
		Capital	40000	0
15	Welfare	Revenue	5526314	0
		Capital	254008	0
16	Labour & Employment	Revenue	683696	0
		Capital	161500	0
17	Agriculture Works & Research	Revenue	3429377	0
		Capital	9202	0
18	Co-operative	Revenue	352306	0
		Capital	47010	0
19	Rural Development	Revenue	3231070	0
		Capital	2138826	0
20	Irrigation & Flood	Revenue	3077104	0
		Capital	4402603	0
21	Energy	Revenue	80145	0
		Capital	4489202	0
22	Public Work	Revenue	4204292	34403
		Capital	8032001	0
23	Industries	Revenue	752382	0
		Capital	141055	0
24	Transport	Revenue	199474	0
		Capital	1552620	0
25	Food	Revenue	3275174	0
		Capital	36725	0
26	Tourism	Revenue	536958	0
		Capital	462763	0
27	Forest	Revenue	2950789	0
		Capital	250002	0
28	Animal Husbandary	Revenue	1011888	0
		Capital	100381	0
29	Horticulture Development	Revenue	1003021	3118
		Capital	0	0
30	Welfare of Scheduled Castes	Revenue	5344857	0
		Capital	3386842	0
31	Welfare of Scheduled Tribes	Revenue	1277024	0
		Capital	1000088	0
Total		Revenue	123023041	20233945
		Capital	34014906	16397300
Grand Total			157037947	36631245
				193669192

By Order,
RAM SINGH,
Principal Secretary.